çkDdFku

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2016–17 से 2020–21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आए और साथ ही वे जो पूर्ववर्ती के वर्षों में प्रकाश में आए, परन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। 2020–21 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्त भी जहां आवश्यक था शामिल किये गये है।

वाहन एप्लीकेशन में उचित एवं सही व्यवसायिक नियमों के प्रतिचित्रण में विसंगति थी। विभाग ने विभिन्न डाटा इनपुट के लिए सत्यापन जाँच सुनिश्चित नहीं की। कार्यान्वयन में विलम्ब के बावजूद, एप्लीकेशन में समाधान और वापसी के लिए कुछ मॉड्यूल्स का अभाव था। विभाग आईटी प्रणाली की सुरक्षा के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन देने में विफल रहा। यह लीगेसी डेटा के पूर्ण डिजिटलीकरण को प्राप्त करने में भी विफल रहा और इस प्रकार संबंधित हितधारकों को ऑन–लाइन डेटा/सेवाओं के लाभों से रहना पड़ा।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।